न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. श्री विरेन्द्र सिंघवी पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह सिंघवी, जाति- जैन, निवासी- सिंह पोल, जूनी धान मण्डी के उपर, जोधपुर (मैनेजर एवं खाद्य कारोबारकर्ता)

फर्म:- पूर्णिमा गार्डन रेस्टोरेन्ट, गुरु शिखर रोड, ओरिया नाका के पास, माउन्ट आबू, तहसील- आबूरोड़, जिला-सिरोही

2. श्री प्रीतम सिंह चौहान पुत्र श्री पृथ्वीसिंह चौहान, प्लॉट नं. 413, 414, शोभावतों की ढाणी, खेमे का कुआं, पाल रोड, पाल (ग्रामीण), जोधपुर- 342001 (मालिक एवं खाद्यकाराबारकर्ता)

फर्म:- पूर्णिमा गार्डन रेस्टोरेन्ट, गुरु शिखर रोड, ओरिया नाका के पास, माउन्ट आबू, तहसील- आबूरोड़, जिला-सिरोही

प्रकरण संख्या: 33/2016

"अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

उपस्थिति: अधिवक्ता श्री कपिल पुरोहित, प्रतिवादी संख्या- 2 की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 14 सितम्बर, 2018**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह आवेदन इस न्यायालय में दिनांक 30.6.2016 को प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.7.2015 को समय 4.00 पी.एम. पर फर्म पूर्णिमा गार्डन रेस्टोरेन्ट, गुरु शिखर रोड, ओरिया, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही पर निरीक्षण हेतु पँहुचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता के रुप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति विरेन्द्र सिंघवी पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह सिंघवी, जाति- जैन, निवासी- सिंह पोल, जूनी धान मण्डी के उपर, जोधपुर है एवं पूर्णिमा गार्डन रेस्टोरेन्ट, गुरु शिखर रोड, ओरिया, माउन्ट आबू पर मैनेजर एवं खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से मौजूद है। इस रेस्टोरेन्ट को पूर्णिमा क्लब एवं रिसोर्ट के नाम से भी जाना जाता है तथा पनीर का निर्माण स्वयं करता है, जो आम जनता के लिये पनीर का उपयोग खाना बनाकर बेचने में करता है। आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु खाना बनाने में काम में लिये जाने वाले खाद्य पदार्थ पनीर के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की। होटल में पनीर 5 किलोग्राम लगभग फ्रिज में रखा हुआ था, उसमें से एक किलोग्राम पनीर एक साफ सूखे खाली भिगोने में खरीदा एवं उसकी कीमत नकद अदा

....पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

कर खरीद रसीद बिल तैयार कर रसीद बिल प्राप्त किया। फार्म संख्या-5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक ने अपने हस्ताक्षर किये। फार्म नंबर 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। मूल नमूना खरीद बिल व मूल फार्म नं.5ए, न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहों को चार साफ, सुखी, खाली कांच की शीशीयां दिखाई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पनीर को अच्छी तरह से मसलकर एक रुप किया एवं चार बराबर भागों में करके अलग अलग शीशीयों में भरा एवं फार्मेलीन की 20-20 बूंदे डाली। तत्पश्चात् शीशीयों को एयरटाईट कार्क से बंद किया। लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं सीरीयल नं., दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् प्रत्येक नमूना शीशी पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा चारों नमूना शीशीयों को खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-421 को नियमानुसार नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता विरेन्द्र सिंघवी ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। फिर कार्यालय पॅहुच कर फार्म नंबर 6 की 8 प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नंबर 6 की एक एक प्रति लगाकर चारो नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा व नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नंबर 6 की दो-दो प्रतियां दो लिफाफों में अलग अलग बन्द कर गोंद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपडी किया। तत्पश्चात् दिनांक 17.7.2015 को नमूनें का एक भाग एवं फार्म नंबर VI का एक सील्ड लिफावा मैनें स्वयं ने खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 17.7.2015 को शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नंबर 6 का सील बन्द लिफावा अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो मूल ही संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से खाद्य पदार्थ पनीर की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता विरेन्द्र सिंघवी से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना S-421 अमानक स्तर (Sub-standard) पाया गया है। प्रकरण में अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर अभियुक्तगण द्वारा अमानक स्तर के खाद्य पदार्थ पनीर का निर्माण एवं विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम,

....पेज तीन पर

प्रति, जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा अमानक स्तर (Sub-standard) के पनीर का निर्माण एवं विक्रय किया गया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन है तथा धारा-51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अत: अभियुक्तगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माने से दण्डित किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी अभियुक्तगण को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी अभियुक्त संख्या-2 (प्रीतम सिंह चौहान) की ओर से अधिवक्ता श्री हिमांशु पुरोहित, अधिवक्ता श्री कपिल पुरोहित एवं अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रकाश सिंह कुम्पावत का वकालतनामा हुआ। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या-2 (प्रीतम सिंह चौहान) की ओर से लिखित जवाब भी प्रस्तुत हुआ। जबकि प्रकरण में प्रतिवादी अभियुक्त संख्या-1 (विरेन्द्र सिंघवी) को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये एवं न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया।

(3) प्रकरण में बहस हेतु नियत सुनवाई तिथि 10.9.2018 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रतिवादी अभियुक्त संख्या-2 (प्रीतम सिंह चौहान) के अधिवक्ता श्री कपिल पुरोहित की बहस सुनी गई। प्रतिवादी अभियुक्त संख्या-2 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रतिवादी संख्या-2 के लिखित जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि परिवाद के पद संख्या- 1 से 10 में अंकित अभिकथन भ्रामक, कपोलकल्पित, झूठे व आधारहीन है। पनीर का उत्पादन प्रतिवादी द्वारा नही किया जाता है और न ही जब्तशुदा पनीर किसी वाणिज्यिक रुप से विक्रय हेतु रखा हुआ था। पनीर सरस दूध कम्पनी का था तथा जहां पर जब्ती की कार्यवाही बतलाई गई है, वह पूर्णिमा गार्डन रेस्टोरेन्ट उस समय बन्द पडा था, जिसका स्वामी अन्य प्रकण में न्यायिक अभिरक्षा में था तथा उक्त स्थान पर केवल मात्र उसके परिवाद के सदस्य थे, जिनके द्वारा उक्त वाके स्थित रसोई को अपने घरेलु दैनिक खान पान हेतु उपयोग में लिया जा रहा था। प्रतिवादी संख्या-1 को परिवाद में मैनेजर बतलाया गया है, जबकि विरेन्द्र सिंघवी उस समय जायदाद में केवल मात्र एक प्रापेर्टी डीलर की हैसियत से जायदाद के विक्रय हेतु परिवार के सदस्यों से वार्ता करने के लिये आया था। इस प्रकार जिस पनीर को जब्त कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनिय के तहत कार्यवाही की गई है, वह कार्यवाही प्रारम्भ से शून्य व प्रभावहीन है, क्योंकि उक्त पनीर का न तो निर्माता प्रतिवादी संख्या- 1 व 2 है और न ही उनका कोई मार्का ही उस पर पाया गया है। राज्य सरकार के खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण में धारा 26 के अर्न्तगत कार्यवाही करना बतलाया गया है, जबकि उस पनीर की कोई कॉमर्शियल एक्टिविटिज नही हो रही थी। रेस्टोरेन्ट दिनांक 25.6.2015 को ही बंद हो चुका था, जबकि विभाग द्वारा निरीक्षण दिनांक 16.7.2015 को किया गया तथा मौके पर जो पनीर वास्ते घरेलु उपयोग हेतु रखा था, उसको कॉमर्शियल रुप से विक्रय करने

.....पेज चार पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

हेतु रखा हुआ मानकर एक सुनियोजित षडयंत्र के तहत इस प्रकरण में प्रतिवादी संख्या-2 को फंसाया गया है। जहां से पनीर को बरामद करना बतलाया गया है, वह जायदाद अब विक्रय की जा चुकी है तथा दिनांक 25.6.2015 से कोई कॉमर्शियल एक्टिविटिज नही की जा रही है तथा न ही की जाना अब अपेक्षित होगा। इस कारण भी प्रकरण में कार्यवाही प्रतिवादी संख्या-2 के विरुद्ध ड्रॉप किये जाने योग्य है। सील चेपा की कार्यवाही कतई मौके पर नही हुई, उक्त क्षेत्र व्यावसायिक व आवासीय क्षेत्र है, जहां पर आसानी से स्वतंत्र व्यक्ति मौतबीर बन सकता था, परन्तु फिर भी निरीक्षक द्वारा अधीनस्थ कर्मचारियों को ही मौतबीर बनाकर एक झूठा प्रकरण दर्ज करवाया है। झूठी साक्ष्य बनाकर झूठी कार्यवाही के आधार पर प्रतिवादी संख्या-2 का नाम सम्मिलित किया गया है, जबकि घटना का समय व दिन उल्लेखित किया गया है, ऐसी कोई कार्यवाही उस समय हुई ही नही तथा न ही उस दिन प्रतिवादी संख्या-2 के पास कोई बएवज बिल लेकर पनीर खरीद किया गया, खाली पेपर पर प्रतिवादी को डरा धमकाकर यह कहते हुए हस्ताक्षर करवाये गये थे कि केवल मात्र पनीर की गुणवत्ता जांचनी है, इस कारण आपका ही पनीर है, इस बाबत हस्ताक्षर करवाकर इस पर सील चेपा करना है। जबकि ऐसे दस्तावेज का प्रतिवादी के सामने सील चेपा नही किया गया, मात्र हस्ताक्षर करवाये गये। पनीर जो फ्रिज में सरस पैकिंग में था तथा पैकिंग खुली हुई नही थी परन्तु उसको खोलकर कोई सेम्पल नही लिया गया अपतु पहले से ही किसी अन्य के प्राप्त किये गये सेम्पल को ही आधार मानकर ब्राण्डेड पनीर उत्पादन करने वाली कम्पनी के दबाव में आकर प्रतिवादी के व्यवसाय को प्रभावित करने का प्रयास मात्र किया गया है। स्वीकृत रुप से प्रतिवादी संख्या-2 के द्वारा कतई उक्त प्रकरण में उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत कोई दण्डनीय अपराध कारित नही किया गया है, इस कारण अप्रार्थी संख्या-2 के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ की संदेह के आधार पर की गई होने से उसको विड्रा किया जावे और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही को बन्द किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 16.7.2015 को समय 4.00 पी.एम. पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म पूर्णिमा गार्डन रेस्टोरेन्ट, गुरु शिखर रोड, ओरिया, माउन्ट आबू पर गये। वहां उक्त पूर्णिमा गार्डन रेस्टोरेन्ट, गुरु शिखर रोड, ओरिया, माउन्ट आबू में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर की हैसियत से विरेन्द्र सिंघवी पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह सिंघवी, जाति- जैन, निवासी- सिंह पोल, जूनी धान मण्डी के उपर, जोधपुर उपस्थित मिले, जो आम जनता के लिये खाद्य पदार्थ पनीर का उपयोग खाना बनाकर बेचने में करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त पूर्णिमा गार्डन रेस्टोरेन्ट, गुरु शिखर रोड़, ओरिया, माउन्ट आबू के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु खाना बनाने में काम में लिये जाने वाले खाद्य पदार्थ पीनर के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय

.....पेज पांच पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री लक्ष्मण राम, एन.एम.ए., कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष खाद्यकारोबारकर्ता एवं मैनेजर विरेन्द्र सिंघवी को प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी। उक्त पूर्णिमा गार्डन रेस्टोरेन्ट में फ्रिज में लगभग 4 चार किलोग्राम खाद्य पदार्थ पनीर रखा हुआ था उसमें से आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जांच हेतु एक किलोग्राम पनीर को एक साफ सूखे खाली भिगोने में खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 285/- (अक्षरे रुपये दो सौ पिच्यासी मात्र) अदा कर नमूना खरीद बिल तैयार कर खरीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर विरेन्द्र सिंघवी व उक्त गवाह श्री लक्ष्मण राम तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं कमांक S-421, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर उक्त खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर विरेन्द्र सिंघवी व उक्त गवाह श्री लक्ष्मण राम के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने क्रय शुदा खाद्य पदार्थ पनीर को हिला मिलाकर 4 (चार) साफ, सूखी, खाली शीशीयों में बराबर-बराबर भरा एवं चारों शीशीयों में 20-20 बूंदे फार्मेलीन की डालकर शीशीयों को एयरटाईट कार्क से बंद किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार लेबल पर कोड एवं क्रमांक, दिनांक, नमूना लेने का स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर विरेन्द्र सिंघवी व उक्त गवाह श्री लक्ष्मण राम के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने स्वयं हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् प्रत्येक नमूना शीशी पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-421 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर विरेन्द्र सिंघवी एव उक्त गवाह श्री लक्ष्मण राम के हस्ताक्षर करवाये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूनों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की गई। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर विरेन्द्र सिंघवी व उक्त गवाह श्री लक्ष्मण राम तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ क्रय का बिल एवं मौका फर्द आदि के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पूर्णिमा गार्डन रेस्टोरेन्ट, गुरु शिखर रोड़, ओरिया, माउन्ट आबू में खाद्य कारोबकारकर्ता एवं मैनेजर विरेन्द्र सिंघवी से खाद्य पदार्थ पनीर को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

.....पेज छः पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

सिरोही (राज.)

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खाद्य पदार्थ पनीर के चारों नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने दिनांक 17.7.2015 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नम्बर-6 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 17.7.2015 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना संख्या S-421 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक: L.S./567/Act/2015/564 दिनांक 27.7.2015 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पूर्णिमा गार्डन रेस्टोरेन्ट, गुरु शिखर रोड, ओरिया, माउन्ट आबू में खाद्यकारोबारकर्ता एवं मैनेजर विरेन्द्र सिंघवी से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना अमानक स्तर (Sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य साबित है कि पूर्णिमा गार्डन रेस्टोरेन्ट, गुरु शिखर रोड़, ओरिया, माउन्ट आबू में मेनेजर विरेन्द्र सिंघवी द्वारा अमानक स्तर (Sub-standard) का खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा- 2(ii) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी पाया गया कि प्रकरण में श्री विरेन्द्र सिंघवी, मैनेजर, पूर्णिमा गार्डन रेस्टोरेन्ट, ओरिया, माउन्ट आबू को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र कमांक:एफएसएसए/2015/3955-56 दिनांक 04.8.2015 के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की विश्लेषण जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित कर सूचित किया गया कि अगर उक्त जांच रिपोर्ट से सन्तुष्ट नही हो तो अपील आवेदन प्रारुप-8 में पत्र प्राप्ति के 30 दिवस में प्रस्तुत करे, लेकिन संबंधित द्वारा अधिसूचित रेफरल लेब से नमूने की जांच कराने हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया।

चूंकि उक्त पूर्णिमा गार्डन रेस्टोरेन्ट, गुरु शिखर रोड, ओरिया, माउन्ट आबू में विरेन्द्र सिंघवी पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह सिंघवी, जाति- जैन, निवासी- सिंह पोल, जूनी धान मण्डी के उपर, जोधपुर बहैसियत प्रबन्धक नौकरी करता था।

अत: खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की

.....पेज सात पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

धारा 51 के तहत श्री प्रीतम सिंह चौहान पुत्र श्री पृथ्वी सिंह चौहान, प्लॉट नम्बर 413, 414, शोभावतों की ढाणी, खेमे का कुआ, पाल रोड, पाल (ग्रामीण), जोधपुर (राज.), मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता, पूर्णिमा गार्डन रेस्टोरेन्ट, गुरु शिखर रोड, ओरिया, माउन्ट आबू पर राशि रुपये 25,000/- (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, उक्त श्री प्रीतम सिंह चौहान पुत्र श्री पृथ्वी सिंह चौहान, प्लॉट नम्बर 413, 414, शोभावतों की ढाणी, खेमे का कुआ, पाल रोड, पाल (ग्रामीण), जोधपुर (राज.) को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार अधिरोपित शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही